प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 18.08.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0- 248/26 धारा 109(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक हथौडा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.08.26 को थाना बिनौली पर वादी श्री संजय कुमार पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त नन्दलाल पुत्र उमेश निवासी राणा प्रताप नगर थाना हजारा जिला पीलीभीत हालपता वादी संजय सिंह का नौकर ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जिसे वादी के द्वारा ईख बाधने के लिये रखा हुआ था के द्वारा वादी के नौकर धर्मेन्द्र पुत्र रामधार निवासी बालपुर करणनगर थाना सपना नगर जिला लखीमपुर खीरी के साथ में जान से मारने की नियत से हथौडे से हमला कर सिर में चोट मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 248/26 धारा 109(1) बीएऩएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 248/26 धारा 109(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद हथौडा बरामद किया गया है । अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- नन्दलाल पुत्र उमेश निवासी राणा प्रताप नगर थाना हजारा जिला पीलीभीत।

बरामदगी का विवरण

- **घटना में प्रयुक्त एक हथौडा**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री महेन्द्र शर्मा थाना बिनौली बागपत।

2- उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना बिनौली बागपत।

3- रि0का0 400 हरीश रावत थाना बिनौली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनांक 18.08.2026**

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के तहत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को एक गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0स0 574/26 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाऐ। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रवि पुत्र ब्रजपाल निवासी मौ0 विकास नगर कस्बा एलम थाना कांधला जिला शामली उम्र 34 वर्ष

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
2-है0का0 408 सुखवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
3-का0 168 अखिलेश कुमार ना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बालैनी **दिनाँक-18.08.2026**

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के अभियोग से संबंधित अभियुक्त को PCR पर लेकर घटना में प्रयुक्त किया गया अवैध तमंचा मय जिन्दा कारतूस बरामद किया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.07.2026 को थाना बालैनी पर आवेदक सौरव यादव पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जिला बागपत ने प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 03.07.2026 को वादी के द्वारा रास्ते मे खडी गाडी न0 HR 26 FZ2936 व दो गाडी नम्बर अज्ञात के चालक एवं गाडीयों में सवार अज्ञात व्यक्तियो को रास्ते से गाडी हटाने के लिए होर्न बजाना जिस पर गाडी सवार अज्ञात 10- 15 व्यक्तियो द्वारा वादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना तथा जान से मारने की नियत से घातक हथियार से फायर करना ओर मारपीट के दौरान वादी का मोबाईल वन प्लस व 60 हजार रूपये गुम हो जाना तथा वादी की पत्नी के द्वारा बीच बचाव शोर मचाने पर गाडी लेकर मौके से भाग जाना। इस सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0स0

83/26 धारा 191(2)/191(3)/352/115(2)/109(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त रुकमेश पुत्र प्रताप सिंह निवासीग्राम किनौनी थाना रोहटा जनपद मेरठ को आज दिनांक 18.08.26 को जिला कारागार बागपत से मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकृत पुलिस कस्टडी रिमाण्ड के आधार पर जिला कारागार बागपत से PCR पर लेकर अभियुक्त रुकमेश की निशांदेही पर जंगल डोलचा से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा अवैध .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर पंजीकृत मु0अ0स0 83/26 धारा 191(2),191(3),352,115(2),109(1),126(2),3(5) बीएनएस व बढौत्तरी धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी कराने वाले अभियुक्त का नाम व पता-

रुकमेश पुत्र प्रताप सिह निवासीग्राम किनौनी थाना रोहटा जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरण-

- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।**

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 देवेन्द्र शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत
2-का0 912 सूरज थाना बालैनी जनपद बागपत
3- कां0 225 धीरज कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत
4-का0 204 विकास कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत